



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 360]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 11, 2019/आश्विन 19, 1941

No. 360]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 11, 2019/ ASVINA 19, 1941

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2019

सं.1/एनएससी/2019.—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खंड 1 में अधिसूचना संख्या-299 दिनांक 4 सितम्बर, 2018 के साथ पठनीय भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खण्ड-4 में अधिसूचना संख्या 85 दिनांक 1 जून, 2005 के रूप में प्रकाशित भारत सरकार के संकल्प संख्या ए-11011/1/2005-(प्रशा.-I) दिनांक 1.6.2005 के अनुसरण में, निम्नलिखित व्यक्तियों को 15 जुलाई, 2019 से राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग में अंश-कालिक अध्यक्ष तथा अंश-कालिक सदस्य के तौर पर नियुक्त किया गया है:—

- (i) प्रो. ब्रिमल कुमार रॉय, हैड, आर.सी. बोस सेंटर फॉर क्रिप्टोलॉजी एंड सिक्योरिटी, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता के अध्यक्ष के रूप में तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश के होने तक, जो भी पहले हो।
- (ii) डॉ. किरण पांडया (जन्मतिथि 12-01-1960), प्रोफेसर और अध्यक्ष, मानव संसाधन विकास विभाग, वीर नार्मद साउथ गुजरात विश्वविद्यालय, सूरत को (श्रेणी 2) के लिए बतौर अंशकालिक सदस्य।
- (iii) श्री पुल्लक घोष (जन्म तिथि 24.09.1973) प्रोफेसर, आईआईएम बैंगलौर- आंकड़ा केंद्र तथा विश्लेषण प्रयोगशाला को (श्रेणी 3) के लिए बतौर अंशकालिक सदस्य।
- (iv) डॉ. गुरुचरण मन्ना (जन्म तिथि 15.03.1957) प्रोफेसर, मानव विकास संस्थान, आईएचडी तथा वरिष्ठ सलाहकार, एनसीआईआर (श्रेणी-4) के लिए बतौर अंशकालिक सदस्य।

2. प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल तीन वर्ष की अवधि के लिए या उनके पैंसठ वर्ष की आयु पूरी होने तक, जो भी पहले हो, होगा। अंश-कालिक सदस्यों की नियुक्ति, कार्यकाल तथा सेवा-शर्तें दिनांक 8 मई, 2006 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्या-465 दिनांक 10 मई, 2006 के रूप में प्रकाशित भारत सरकार की अधिसूचना संख्या ए-11011/1/2005-(प्रशा.-I) (जिल्द-IV) के द्वारा शासित होंगी।

3. आयोग के अध्यक्ष भारत सरकार के राज्य मंत्री के स्तर के होंगे तथा आयोग के सदस्य भारत सरकार के सचिव स्तर के होंगे।

अनुजा बापट, उप महानिदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./247/19]

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th July, 2019

No.1/NSC/2019.—In pursuance of the Government of India Resolution No. A-11011/1/2005-Ad. I dated 1.6.2005 published as Notification No. 85 dated 1st June, 2005 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-III, Section-4 read along with the Notification No. 299 dated 4th September 2018 in the Gazette of India-Extraordinary Part-I Section-1, the following persons have been appointed part-time Chairman and part-time Members in the National Statistical Commission, with effect from the 15th July 2019.

- (i) Prof. Bimal Kumar Roy, Head R.C. Bose Centre for Cryptology & Security, Indian Statistical Institute, Kolkata as Chairman, for a period of three years, or until further orders, whichever is earlier.
- (ii) Dr. Kiran Pandya (D.O.B: 12-01-1960), Professor & Head, Department of Human Resources Development, Veer Narmad South Gujarat University, Surat as Part-Time Member for (category 2).
- (iii) Shri Pulak Ghosh (D.O.B: 24.09.1973), Professor, IIM Bangalore-Data Centre and Analytics Lab as Part-Time Member for (category 3).
- (iv) Dr. Gurucharan Manna (D.O.B: 15-03-1957), Professor, Institute for Human Development, IHD & Senior Advisor, NCAER as part-time Member (category-4).

2. The tenure of each Member will be three years or till he attains the age of sixty-five years, whichever is earlier. The appointment, tenure and service conditions of the part-time Members shall further be governed by Government of India Notification No. A-11011/1/2005-Ad-I (Vol. IV) dated 8th May, 2006 published as Notification No. 465 dated 10th May, 2006 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii).

3. The Chairman of the Commission will have the status of a Minister of State in the Government of India and the Members of the Commission will have the status of a Secretary to the Government of India.

ANUJA BAPAT, Dy. Director General

[ADVT.-III/4/Exty./247/19]